पंचायत निगरानी संख्या : 382 / 2024,383 / 2024, 387 / 2024, 389 / 2024, 390 / 2024, 391 / 2024, 392 / 2024, 394 / 2024, 395 / 2024, 396 / 2024, 397 / 2024, 400 / 2024, 401 / 2024, 402 / 2024, 405 / 2024 व 406 / 2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. पंचायत निगरानी संख्या : 382 / 2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 491

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. वालाराम पुत्र पुराराम निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

2. पंचायत निगरानी संख्या : 383 / 2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 492

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. मगाराम पुत्र मोतीजी सिरवी निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

3. पंचायत निगरानी संख्या : 387 / 2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 496

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी
2. प्रकाश पुत्र वालाराम मेघवाल निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

4. पंचायत निगरानी संख्या : 389 / 2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 498

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. कन्या पत्नी पुनाराम धांधी निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

5. पंचायत निगरानी संख्या : 390 / 2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 499

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

2. मोटाराम पुत्र अमराराम सीरवी निवासी कोटडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

6. पंचायत निगरानी संख्या : 391/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 500

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. दिलीप पुत्र बजाराम निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी संख्या : 392/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 501

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी
2. गजरो पत्नी राजूराम सीरवी निवासी कोटडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

8. पंचायत निगरानी संख्या : 394/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 503

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. सोनी पत्नी लादाराम राव निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

9. पंचायत निगरानी संख्या : 395/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 504

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. मगली पत्नी पूनाराम सीरवी निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

10. पंचायत निगरानी संख्या : 396/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 505

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382 / 2024,383 / 2024, 387 / 2024, 389 / 2024, 390 / 2024, 391 / 2024, 392 / 2024, 394 / 2024, 395 / 2024, 396 / 2024, 397 / 2024, 400 / 2024, 401 / 2024, 402 / 2024, 405 / 2024 व 406 / 2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

2. चेनाराम पुत्र पकाराम सीरवी निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

11. पंचायत निगरानी संख्या : 397 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 506

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. सुखी देवी पत्नी भंवरलाल राव निवासी कोटडी तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

12. पंचायत निगरानी संख्या : 400 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 509

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. पोनी पत्नी वरदाराम सीरवी निवासी कोटडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

13. पंचायत निगरानी संख्या : 401 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 510

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. कन्या पत्नी पकाराम सीरवी निवासी कोटडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

14. पंचायत निगरानी संख्या : 402 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 511

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. मांगीलाल पुत्र चुन्नीलाल सीरवी निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

15. पंचायत निगरानी संख्या : 405 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 512

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटडी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज	1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी। 2. मुकेश पुत्र लादाराम राव निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

16. पंचायत निगरानी संख्या : 406/2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 513

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज	1. ग्राम पंचायत कोटडी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी। 2. कमला पत्नी मांगीलाल सीरवी निवासी कोटडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्यामसिंह।
2. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश कुमार पारंगी।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेश कुमार भण्डारी।
4. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/506)
5. अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/492, 2024/499 तथा प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/504)

-:निर्णय:-

दिनांक: 30.01.2026

याचिकाकर्ता श्री रमेश कुमार ने ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा समान प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 द्वारा निर्णय लेकर निष्पादित किये गये सोलह भूमि विक्रय विलेखों को उपरोक्त पंचायत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से समान आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की है. अतः उपरोक्त वर्णित पंचायत निगरानी याचिकाओं को एक साथ निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

निगरानी याचिकाओं के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 01 को आर्थिक नुकसान पहुंचाने एवं अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये ग्राम पंचायत कोटडी की आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता न रखने के उपरान्त भी अपने स्वयं के नाम से प्रस्ताव दिनांक 02/05.09.2019 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किया है, जिसे प्राप्त करने का अप्रार्थी संख्या 02 को कोई अधिकार नहीं था फिर भी कानून व नियमों के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
... जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

अपने पक्ष में जारी करवाया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से पत्रावली कायम करने से पूर्व न तो आवेदन लिया गया, न ही दिया गया और न ही आवेदन नियमानुसार ग्राम पंचायत में फीस जमा करवाई गई, इस कारण भी आदेश दिनांक 02 / 05.09.2019 निरस्तनीय है। यह कि, अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने से संबंधित पत्रावली दर्ज नही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा चाही गयी भूमि का नक्शा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत भी नहीं किया गया, न ही विधिवत रूप से तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया और न ही उन तीन वार्ड पचों ने मौके पर जाकर भूमि का निरीक्षण नाप चौक अपनी उपस्थिति में ग्राम पंचायत के नक्शानवीस से तैयार करवाया न ही मौके की कोई रिपोर्ट तैयार की। इस कारण भी ग्राम पंचायत का आदेश और निगरानी निरस्त होने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी करने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्राथमिक प्रस्ताव नहीं लिया गया जो लिया जाना आदेशात्मक है। यह है कि तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उजरदारी का कोई नोटिस न तो नियमानुसार जारी किया और न ही उस उजरदारी नोटिस पंचायत के सूचना बोर्ड पर चस्पा किया गया, न ही ग्राम के आम चौहटे पर तथा भूमि पर जिसका पट्टा चाहा गया है पर लोगो की दृष्टि में आवें ताकि लोग अपनी उजरदारी प्रस्तुत कर सके, चस्पा ही किया गया है। इस कारण भी आदेश दिनांक 02 / 05.09. 2019 निरस्त होने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा आम नागरिको की उजरदारी का निस्तारण वैधानिक व नियमानुसार नहीं किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 भूमिहिन व्यक्ति नही है, इसके पास पहले से ग्राम पंचायत कोटडी की सीमा मे रहवासीय मकान उपलब्ध है, इस कारण वह रियायती दर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इस कारण आदेश और निगरानी निरस्तनीय है। यह है कि ग्राम पंचायत की नई आबादी भूमि में नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति, भूमिहीन, विकलांग, विधवा वगैरा को पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या 02 इस पद में वर्णित किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं रखता है। इसके उपरान्त भी झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलावट कर पट्टा जारी करवाने का निगरानीधीन आदेश जारी करवाया हैं। इस कारण निरस्त होने योग्य हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने बिना देखे, बिना सोचे समझे एक ही परिवार के दो लोगों के नाम भी पट्टे जारी करने का आदेश दिया हैं। इतना ही नहीं, कई वार्ड पचों ने वार्ड पंच पद पर रहते हुए पट्टा प्राप्त करने की पात्रता न रखते हुए अपने स्वयं के नाम से और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी पट्टे जारी करने का आदेश दिनांक 02 / 05.09.2019 पारित करवाया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 का न तो मौके पर किसी भी प्रकार की कोई कब्जास्थान ही किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, बाड अथवा झौपड़ा ही बना हुआ था, न आज तक उसके पास पट्टे में वर्णित भूमि पर कब्जा हैं। बिना भूमि का कब्जा दिये ग्राम पंचायत ने पट्टा देने के आदेश दिनांक 02 / 05.09.2019 पारित कर पट्टा दिया इस कारण ग्राम से संबंधित पट्टे की भूमि के कब्जे को लेकर विचित्र स्थिति बनी हुई है। अनावश्यक रूप से अशान्ति फैल रही है। बार बार पुलिस को शिकायते की जाती हैं इस कारण बार बार पुलिस जिसे अधिकार न होते हुए भी शिकायत कर्ता को गांव के दुसरे लोगो को रहवासीय भूमि पर बिठा दिया जाता है एवं ग्रामवासी बिना वजह बार बार पुलिस आने से भयभीत रहते है। अतः निगरानी पेश कर और निगरानी पट्टे की भूमि का निरस्त करावें।

निगरानी याचिकाएँ दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटडी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी पैरवी हेतु उपस्थित आए। पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या 383, 390 तथा 395 / 2024 क्रमश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382 / 2024,383 / 2024, 387 / 2024, 389 / 2024, 390 / 2024, 391 / 2024, 392 / 2024, 394 / 2024, 395 / 2024, 396 / 2024, 397 / 2024, 400 / 2024, 401 / 2024, 402 / 2024, 405 / 2024 व 406 / 2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सर्व श्री मगाराम, मोटाराम एवं मगली बावजूद सम्यक तामीली के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण संख्या 383 / 2024 जी.सी.एम.एस. संख्या 2024 / 497 में अप्रार्थी संख्या दो श्री मगाराम को प्रेषित रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक RR433442792IN दिनांक 02.08.2025 की पावती अप्राप्त। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 05 नियम 09 के उपनियम (5) के परन्तुक में अंकित प्रावधानानुसार तीस दिन से अधिक व्यतीत होने पर तामीली मानी जाती है। शेष पंचायत निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या दो के रुप में संयोजित पट्टाधारियों द्वारा जरिए अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। निर्णयाधीन सोलह पंचायत निगरानी याचिकाओ से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा अपने पूर्व पत्रांक / 2024 / 102 दिनांक 09.12.2024 से रिकॉर्ड उपलब्ध नही होना अवगत कराया गया, किन्तु न्यायालय द्वारा सख्त ताकीद करते हुए जारी पत्राचार एवं कारण बताओ नोटीस क्रमांक / 835 दिनांक 04.07.2025, पत्रांक / 1087 दिनांक 16.09.2025 तथा पत्रांक / 1135 दिनांक 13.10.2025 के बाद ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / 2024 / spl-1 दिनांक 24.10.2025 मूल रिकॉर्ड पेश किया गया, यद्यपि प्रकरण संख्या 401 / 2024 जी.सी.एम.एस. संख्या 2024 / 510 में मूल मिसल नहीं बनना अवगत कराया।

अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत जरिए ग्राम विकास अधिकारी, कोटडी ने विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में पूर्व में जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से फैसला दिनांक 02 / 05.09.2019 से आलोच्य पट्टा दिया है। कुछ प्रकरणो में अप्रार्थी संख्या 02 के पूर्व में पक्का रहवासीय मकान भी है, जो पट्टा नियमों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया जो निरस्त करने योग्य है तथा इसका कोई भी रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कोटडी में उपलब्ध नही है। न ही कोई पट्टा बनाने का प्रस्ताव लिया गया। न ही वार्ड पंचो द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, मौका रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई तथा मौके पर पट्टा प्राप्त करने वाले का आज दिन तक भौतिक रुप से किसी भी प्रकार का कब्जा नही है। प्रस्ताव दिनांक 02 / 05.09.2019 को जारी किया है जो नियमों के विरुद्ध है जो निरस्त फरमावें।

अप्रार्थीगण पट्टाधारियों द्वारा प्रकरण संख्या 389, 391, 392, 394, 396, 400, 401, 402 405, एवं 406 / 2024 में जरिए अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी ने विचाराधीन निगरानी याचिकाओं के सम्बन्ध में प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार आवेदन करने के पश्चात विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तो की अक्षरशः पालना करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया तत्पश्चात उपरोक्त पट्टे को उप पंजीयक कार्यालय देसूरी, में रजिस्टर्ड करवाया गया। विधि अनुसार रजिस्टर्ड पट्टे के सन्दर्भ में कोई भी विवाद होने की स्थिति में सुनवाई का एकमात्र अधिकार दीवानी न्यायालय को है। अतः उपरोक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होने से खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि उपरोक्त निगरानी याचिकाओं लगभग 5 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार रिवीजन याचिका 03 वर्ष के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जबकि उपरोक्त रिवीजन याचिका 5 वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका अवधिबाधित होने से खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि प्रार्थी रमेश कुमार तथा अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच श्रीमती सुकी के मध्य आपस में देवर भाभी का संबंध है तथा उनके मध्य दुरभिसंधि है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि रिवीजन याचिका इंटरेस्टेड व्यक्ति (हितबद्ध व्यक्ति) द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है, हर कोई याचिका

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

प्रस्तुत नही कर सकता है। प्रार्थी ग्राम करणवा का निवासी है तथा उपरोक्त विवादित पट्टा ग्राम कोटडी में स्थित है, जिससे प्रार्थी द्वारा उपरोक्त याचिका में प्रार्थी स्वयं के इंटरेस्ट (हित) नही है एवं न ही प्रार्थी द्वारा उपरोक्त याचिका में प्रार्थी ने स्वयं के इंटरेस्ट (हित) होने का उल्लेख अपने अभिवचनों में किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि उपरोक्त याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व एक अन्य शख्स श्री मदनसिंह द्वारा भी याचिका श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिनको उसके द्वारा जरिए विड्रॉल खारिज की गई। जैसे ही रिवीजन याचिका खारिज की गई, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने देवर प्रार्थी रमेश कुमार के साथ साठ–गाठ कर उपरोक्त याचिका प्रस्तुत की। जिससे प्रार्थी का उपरोक्त याचिका रेसज्युडिकेटा से प्रभावित होने से खारिज किए जाने के काबिल है।

अप्रार्थीगण ने निगरानी याचिकाओं का पदवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि पद संख्या 01 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विधि एवं नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तमाम नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 तमाम जांच एवं प्रक्रिया सम्पन्न की गई। पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय, देसूरी में पंजीबद्ध करवाया गया। निगरानी याचिकाओं का पद संख्या 02 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाई गई। निगरानी याचिकाओं का पद संख्या 03 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने संबंधित पत्रावली नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई थी। सभी नियमों की अक्षरशः पालना की गई थी। नक्शा प्रस्तुत किया गया था, वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया था। नियमानुसार मौका निरीक्षण किया गया था। पद संख्या 04 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है प्राथमिक प्रस्ताव लिया गया था। पद संख्या 05 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। सभी नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए उजरदारी के नोटिस नियमानुसार हर माध्यम से निकाले गये थे। पद संख्या 06 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है नियमानुसार सभी उजरदारी का निस्तारण किया गया था। पद संख्या 07 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 02 भूमिहीन है। पद संख्या 08 भी अस्वीकार है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियमानुसार पात्रता रखने से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में उपरोक्त पट्टा जारी किया गया। पद संख्या 09 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है, अप्रार्थी संख्या 02 पट्टा प्राप्त करने की पूर्ण पात्रता रखता है तथा अप्रार्थी संख्या 02 की किसी भी पंच अथवा सरपंच से किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी अथवा नातेदारी नही है। उपरोक्त आदेश 02 / 05 09.2019 सभी नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए किया गया था। पद संख्या 10 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है, अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर कब्जा न हो। अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर विधिवत कब्जा होकर नियमानुसार उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिकाए सव्यय खारिज फरमावें।

प्रकरण संख्या 397 / 2024 में अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ने प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या दो विधवा महिला है जिसके द्वारा नियमानुसार आवेदन करने के पश्चात विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों की अक्षरशः पालना करने के पश्चात् अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत कोटडी में नियमानुसार आवेदन पेश किया गया जिस पर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा गिराल संख्या 5/2012-13 दर्ज की गयी तथा नियमानुसार कार्यवाही की गयी। निगरानीकर्ता रमेश कुमार के सम्पूर्ण आदेशिका पर हस्ताक्षर है तथा निगरानीकर्ता रमेश कुमार व वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी तत्पश्चात नियमानुसार आपत्ति इश्तिहार जारी कर आज सुनवाई अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा संख्या 34 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.09.2019 की अनुपालना में दिनांक 18.11.2019 को जारी किया गया। पट्टा जारी होने के बाद अप्रार्थी संख्या दो को नियमानुसार कमठा इजाजत ग्राम पंचायत द्वारा दी गयी। उक्त समस्त कार्यवाही में निगरानीकर्ता रमेश कुमार के हस्ताक्षर है तथा उक्त पट्टा बाबत् समस्त कार्यवाही निगरानीकर्ता रमेश कुमार की जानकारी में है।

2. यह है कि उपरोक्त निगरानी लगभग 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत की गयी है लिमिटेशन एक्ट के अनुसार निगरानी याचिका तीन वर्ष के भीतर भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जबकि उपरोक्त निगरानी 5 वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गयी जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका अवधिबाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उक्त पट्टे के सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी थी तथा उक्त पट्टे सम्पूर्ण कार्यवाही में आदेशिका,पट्टा मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पहले से थी केवल मात्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से निगरानी पेश की है।

3. यह है कि प्रार्थी रमेश कुमार तथा अप्रार्थी संख्या एक सरपंच श्रीमती सुखी के मध्य आपस में देवर भाभी का सम्बन्ध है तथा प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या एक दुरभिसंधि है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका खारिज किये जाने जाने के काबिल है।

4. यह है कि निगरानी याचिका इंटरेस्टेड व्यक्ति (हितबद्ध व्यक्ति) द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है हर कोई व्यक्ति याचिका प्रस्तुत नही कर सकता है। प्रार्थी ग्राम करणवा का निवासी है तथा उपरोक्त विवादित पट्टा कोटडी ग्राम में स्थित है, जिससे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट (हित) नही है न ही प्रार्थी द्वारा उपरोक्त याचिका में स्वयं के इंटरेस्ट होने का उल्लेख अपने अभिवचनो में किया है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने के काबिल है।

5. यह है कि उपरोक्त याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व एक अन्य सरक्षा श्री मदनसिंह द्वारा भी याचिकाएं न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिनको उसके द्वारा जरिये विड्रोल खारिज की गयी। जैसे ही निगरानी खारिज की गई अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने देवर प्रार्थी रमेश कुमार के साथ सांठ-गांठ कर उपरोक्त याचिका प्रस्तुत की गयी है। जिससे प्रार्थी की उपरोक्त याचिका रेस्जुडिकेट से प्रभावित होने से खारिज किए जाने योग्य है।

प्रकरण संख्या 397/2024 में अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने जवाब पेश कर यह भी निवेदन किया कि-

1. निगरानी याचिका का पद संख्या 01 सरासर गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विधि एवं नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या एक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तमाम नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटडी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

अप्रार्थी संख्या एक तमाम जांच एवं प्रक्रिया सम्पन्न की गई। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया।

2. निगरानी याचिका का पद संख्या 02 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या दो नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या एक के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाई गई।
3. निगरानी याचिका का पद संख्या 03 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नियमानुसार आवेदन देने पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 5/2012-13 दर्ज की गयी तथा इसी मिसल में तीन वार्ड पंचो द्वारा मौका कमेटी का गठन किया गया जिसमें प्रार्थी रमेश कुमार भी वार्ड पंच था। तथा मौके कमेटी द्वारा ही रिपोर्ट तैयार कर दी। जिस पर रमेश कुमार के हस्ताक्षर है तथा नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है। तथा नियमानुसार राशि भी जमा करवाई
4. निगरानी याचिका का पद संख्या 4 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। प्राथमिक प्रस्ताव लिया गया था। जिसके प्रस्ताव संख्या 02/05.09.2019 है।
5. निगरानी याचिका का पद संख्या 05 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। सभी नियमों की अक्षरक्ष पालना करते हुए उजरदारी के नोटीस नियमानुसार हर माध्यम से निकाले गये थे। जिसके चस्पानगी रिपोर्ट सलंग्न है।
6. निगरानी याचिका का पद संख्या 06 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। नियमानुसार सभी उत्तरदायी का निरस्तारण किया गया था।
7. निगरानी याचिका का पद संख्या 07 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियमानुसार भूमिहिन होने से पट्टा जारी किया गया।
8. निगरानी याचिका का पद संख्या 08 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियमानुसार पात्रता रखने से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में उपरोक्त पट्टा जारी किया गया है।
9. निगरानी याचिका का पद संख्या 09 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 पट्टा प्राप्त करने की पूर्ण पात्रता रखता है तथा अप्रार्थी संख्या 02 की किसी भी पंच अथवा सरपंच से किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी अथवा नातेदारी नही है। उपरोक्त आदेश 02/05.09.2019 सभी नियमों की अक्षरक्ष पालना करते हुए किया गया था।
10. निगरानी याचिका का पद संख्या 10 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर विधिवत कब्जा होकर नियमानुसार उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका सव्यय खारिज करावें।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से उभयपक्षकारान् की बहस सुनने का निश्चय किया गया।

कादिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त निगरानी इस आधार पर पेश की है कि ग्राम पंचायत ने राज. पंचायत राज अधिनियम 1996 में वर्णित प्रावधान नियम 140से 161 की पूर्ण पालना किये बिना ही जैर निगरानी आदेश व उसकी पालना में पट्टा अवैध रुप से जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो भूमिहिन नहीं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382 / 2024,383 / 2024, 387 / 2024, 389 / 2024, 390 / 2024, 391 / 2024, 392 / 2024, 394 / 2024, 395 / 2024, 396 / 2024, 397 / 2024, 400 / 2024, 401 / 2024, 402 / 2024, 405 / 2024 व 406 / 2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

है तथा स्वयं का रहवासी मकान पंचायत की सीमा में पहले से ही है जिसमें मय परिवार निवास करता है। अप्रार्थी संख्या दो को उपरोक्त पट्टा नियम 158 के तहत मिसल में पारित बिना दिनांक निर्णय के आधार पर करीब 8–9 वर्ष बाद में बिना दिनांकित आदेशिका और निगरानी पट्टा जारी करना बताया है। यह कि मिसल की ऑर्डरशीट कम्प्यूटर से फॉर्मेट के रूप में प्रिंटेड है जिसकी फोटोप्रति में केवल नाम, दिनांक इत्यादि पेन से भरे हैं। ऑर्डरशीट किस दिनांक में लिखी हुई है, किसी भी ऑर्डरशीट में दिनांक अंकित नहीं है अर्थात कब आवेदन पेश हुआ कब मिसल दर्ज की गई, कब तीन पंच मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किये गये, कब पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई, कब अस्थायी निर्णय लिया गया एवं कब आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया, कब पात्रता बाबत जांच की गई है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही नियम 146 से 148 अनुसार पंचायत की साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर की जाती है तथा मिसल की आदेशिका में प्रत्येक कार्यवाही किस दिनांक में की गई है, वह अंकित की जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही का विचाराधीन प्रकरणों में ग्राम पंचायत की कार्यवाही में पूर्ण अभाव रहा है। इस कारण से सारी कार्यवाही व पट्टा अवैध तथा Ab Initio Void होने से निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो गरीब होने तथा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने बाबत इस बाबत मिसल में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात जांच एवं बयान इत्यादि नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके गरीब होने तथा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने का पात्र होने बाबत ग्राम पंचायत की फाईन्डिंग काल्पनिक है, जो अवैध होने से पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या दो के पास पूर्व से ही पक्का रहवासी मकान है जिसमें मय परिवार निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा आवेदन ग्राम पंचायत में किस दिनांक को पेश किया गया, उसका प्रस्तुतीकरण का अंकन आवेदन पर नहीं है इससे भी स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में की गई है। यह कि हस्तगत प्रकरण सहित सैकड़ो मिसलों में मौका निरीक्षण हेतु वार्डपंच, कमला, पेमाराम व रमेशकुमार को नियुक्त किया गया है अर्थात सभी में इन्हीं तीनों को पंच नियुक्त किया गया है तथा सभी मिसलों की आदेशिका में भी इन्हीं तीनों पंचों के हस्ताक्षर है। इसके अलावा किसी भी पंच को न तो मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया एवं न ही मिसलों की कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज है। इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो सहित सभी पट्टेधारकों ने सरपंच सुमित्रा मीणा तथा इन्हीं तीनों पंचों के साथ मिलकर अवैध रूप से समस्त कार्यवाही विधि के विपरीत की है। यह कि नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटिस की प्रति मिसल में लगी है जिस पर न तो आउटवर्ड नम्बर दर्ज है एवं नहीं दिनांक अंकित है। उक्त नोटिस कब जारी हुआ एवं कब तामिल किया गया, इस बाबत कोई विवरण नहीं है। नोटिस कब एवं किसके रुबरु एवं कहां पर तामिल किया गया, इस सम्बन्ध में कुछ भी विवरण दर्ज नहीं है। उक्त नोटिस 30 दिन की अवधि के लिए आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी किया जाता है लेकिन ऐसा कोई नोटिस कभी जारी ही नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी व अन्य को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ इस कारण भी सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध व शून्यव्रत होने से निरस्त योग्य है। यह कि मिसल में अप्रार्थी संख्या दो के बयान के रूप में फॉर्म अवश्य है जिसमें बयान देने वाले के रूप में अप्रार्थी संख्या दो का नाम अंकित है। मगर उक्त बयान पर अप्रार्थी संख्या दो अथवा अन्य किसी भी गवाह के हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त बयान न तो पढ़े जा सकते है एवं न ही कानून की नजर में बयान माने जा सकते है तथा ऐसे तथाकथित बयानों को आधार मानकर आदेश अथवा पट्टा जारी किया जाता है तो वह अवैध व शून्य ही माना जायेगा। यह कि सम्पूर्ण मिसल जिसमें आदेशिकाएं नक्शा, मौका निरीक्षण प्रपत्र, आपत्ति नोटिस, बयान इत्यादि सभी पर सरपंच के रूप में सुमित्रा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटडी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

मीणा के हस्ताक्षर है जबकि सुमित्रा मीणा जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक ही सरपंच रही है इससे पूर्व सरपंच हिम्मताराम्जी रहे है। ऐसी स्थिति में सन 2010 से 2015 के बीच की अवधि में मिसल में सरपंच के रुप में हिम्मताराम के स्थान पर सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर है, जो सभी कूटरचित दस्तावेज है। इस कारण भी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैध व शून्य होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त मिसलों के अवलोकन से ही प्रथमदृष्टया प्रकट है कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में की गई है तथा सभी पट्टो की मिसलों को एक ही फॉर्मेट में तैयार किया गया है तथा नाम इत्यादि विवरण बाद में दर्ज किया गया है। वर्ष 2006 तथा 2010 में पेश आवेदन पर भी सुमित्रा मीणा के सरपंच के रुप में हस्ताक्षर है जबकि तत्समय वह सरपंच ही नही थी, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी अवैध तथा कूटरचित ही है इसलिए ऐसे पट्टो को कभी भी तथा कोई भी व्यक्ति चुनौति दे सकता है। ऐसे पट्टो को निरस्त करने हेतु कोई मयाद नही है इस सम्बन्ध में 2000(2) RLW Page 911(F.B.) राज. उच्च न्यायालय, 1995 DNJ 458, 1995 DNJ 413, 2020(1) R&T 566 न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन फरमावें। यह कि धारा 97 के तहत कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अथवा न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी पंचायत द्वारा पारित आदेश, निर्णय, संकल्प, प्रस्ताव, पट्टे का रिकॉर्ड मंगवाकर जांच कर खारिज कर सकता है। अप्रार्थी संख्या दो विधिक रुप से नियम 158 के तहत रियायती दर रुपये 5/- प्रतिस्क्वेयर फीट की दर से भूखण्ड प्रदत्त करने का अधिकारी नहीं है एवं उक्त राशि लेकर अपात्र व्यक्तियों को जारी पट्टे अवैध है। साथ ही पंचायत व राज्य को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। विधिनुसार निलामी की जाती तो प्रत्येक भूखण्ड से लाखो रुपये का पंचायत का राजस्व प्राप्त होता, लेकिन अवैध रुप से बैकडेट में एवं एक दिन में कार्यवाही कर रियायती दर से पट्टा जारी कर लाखो रुपये का पंचायत को नुकसान हुआ है तथा प्रार्थी भी उसी पंचायत का नागरिक है जिसे ऐसे अवैध फर्जी व कूटरचित पट्टो को चुनौति देने का पूर्ण अधिकार है। यह कि पंचायत नियम 143 अनुसार भूखण्डो का निलाम किया जाना आज्ञापक है साथ ही नियम 146 में स्थल निरीक्षण हेतु, नियम 147 के तहत अनन्तिम विनिश्चय हेतु, नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु मिसल को पंचायत की बैठक में रखी जाकर संकल्प (प्रस्ताव) पारित करना आज्ञापक है, बिना संकल्प (प्रस्ताव) के की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध व शून्य है। नियम 158 के तहत जिनके पास स्वयं के गृहस्थल अथवा गृह नहीं है तो ही रियायती दर से भूखण्ड का आवंटन किया जा सकेगा, लेकिन वह पट्टा विलेख अन्तरण योग्य नही होगा तथा भूखण्ड विक्रय नहीं किया जायेगा, तथा भविष्य में पुनः उसे पश्चातवर्ती आवंटन नहीं होगा। हस्तगत प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या 02 के पास स्वयं के निवास हेतु स्वयं का मकान उसी गाव में स्थित है जिसमे वह मय परिवार निवास कर रहे है इसलिए किसी भी रुप से नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने के लिए पात्रता नही रखता है फिर भी पंचायत को आर्थिक नुकसान कारित करने की नियत से अवैध रुप से फर्जी कार्यवाही कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो अवैध है। उक्त पट्टे में वर्णित भूखण्ड आज तक खाली एवं खुला ही पडा है तथा इसका उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो के पास पूर्व से ही रहवासी मकान व भूखण्ड वगैरा उपलब्ध है, इस कारण भी प्रस्ताव मय पट्टा खारिज योग्य है। यह कि तत्कालीन सरपंच सुमित्रा मीणा ने उक्त निगरानियों में वर्णित पट्टाधारियों से मिलावट व साजिश कर ग्राम पंचायत को अवैध रुप से हानि पहुचाने की नियत से बैकडेट अर्थात उसके सरपंच कार्यकाल के पूर्व के वर्षो में आवेदन पेश होना तथा मिसले दर्ज होना बताकर एक ही प्रस्ताव संख्या दो दिनांक 05.09.2019 के आधार पर चुनाव से मात्र दो माह पूर्व में काफी पट्टे अवैध रुप से अपात्र व्यक्तियों को जारी किये गये है, जिसके सम्बन्ध में करीब 26 पंचायत निगरानी याचिकाएं प्रार्थी ने पेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

की है। जिसमें से दस निगरानियां निर्णीत की जाकर पट्टा विलेख खारिज किए जा चुके है। इस प्रकार समस्त पट्टे एव इस बाबत सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी संकल्प मय पट्ट निरस्त फरमावें तथा पंचायत को आर्थिक नुकसान कारित करने, फर्जी व कुटरचित तरीके से कार्यवाही कर पट्टे जारी करने वाले सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं पट्टाधारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने हेतु भी आदेश पारित फरमावें।

पंचायत निगरानी प्र.सं. 402/2024 (GCMS 2024/511) में प्रार्थीपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत करने के स्थान पर मौखिक बहस में उपरोक्त तथ्य व तर्कों का ही प्रस्तुत करते हुए आलोच्य प्रस्ताव एव पट्टा विलेख अपास्त करने का निवेदन किया।

काबिल अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित एवं श्री जितेश कुमार भण्डारी ने निर्णयाधीन पंचायत निगरानियों में पट्टाधारियों अर्थात अप्रार्थीगण संख्या दो की ओर से पैरवी करते हुए बहस के दौरान निवेदन किया कि निगरानीकर्ता श्री रमेश कुमार स्वयं तत्समय वार्डपंच था तथा जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों की कार्यवाहियों में उसके हस्ताक्षर है एवं समस्त कार्यवाही निगरानीकर्ता की जानकारी में है। यह, कि हस्तगत निगरानियां लगभग पांच वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है जबकि परिसीमा अधिनियम अनुसार पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु तीन वर्ष की अवधिसीमा निर्धारित है। निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु याची का हितबद्ध व्यक्ति होना आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरणों में याची हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में शामिल नहीं है। पूर्व में इन्हीं भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध एक अन्य व्यक्ति श्री मदनसिंह द्वारा पंचायत निगरानियां प्रस्तुत की गई थी, जो उनके द्वारा निर्णय से पूर्व विड्रा कर दी गई जिस कारण उपरोक्त याचिकाएँ रेस्ज्युडिकेटा से प्रभावित होने से काबिल खारिज है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी भूमि विक्रय विलेखों से सम्बन्धित मिसलों में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित समस्त प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्ण पालना की गई है एवं यह भी, कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा दिनांक 05.04.2017 को जारी परिपत्र में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि नियम 158 में समाज के कमजोर वर्गों को भूमि आवंटन से पूर्व नियम 145 से 156 में इंगित प्रक्रिया की पालना करना आवश्यक नहीं है। बहस को समेकित करते हुए अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टो को उपपंजीयक कार्यालय दसूरी में पंजीबद्ध करवाया जा चुका है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है एव इस हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं होने से विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिकाएँ निरस्त फरमावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा निर्णयाधीन सोलह निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड, यथा मिसल, बैठक कार्यवाही विवरण तथा मूल पट्टा विलेख का गहनता से अध्ययन किया गया।

विचाराधीन समस्त सोलह निगरानी याचिकाएँ एक ही निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 के विरुद्ध समान आधारों व आक्षेपों पर प्रस्तुत की गई है।

1. विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिकाओं का गुणावगुण आधार पर विवेचन करने से पूर्व पट्टाधारियों अर्थात निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या दो के रुप में संयोजित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारी द्वारा पेश इस प्राथमिक आपत्ति का निर्धारण आवश्यक है कि निगरानी याचिका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थी ग्राम करणवा का निवासी है जबकि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख ग्राम कोटडी से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का कोई हित निहित नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी आक्षेपित किया गया कि प्रार्थी आलोच्य पट्टा विलेख सम्बन्धि समस्त कार्यवाही में गवाह बतौर पक्ष शामिल रहा है तथा इसके प्रमाणस्वरूप उसके हस्ताक्षर मिसल पर अंकित है।

अप्रार्थीपक्ष के उपरोक्त आक्षेप/प्राथमिक आपत्ति का खण्डन करते हुए काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने बहस में निवेदन किया गया है कि धारा 97 के तहत कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अथवा न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी पंचायत द्वारा पारित आदेश, संकल्प,प्रस्ताव, पट्टे का रिकॉर्ड मंगवाकर जांच कर खारिज कर सकता है। यह भी कि गैर आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों से पंचायत का नागरिक है जिसे अवैध फर्जी एवं कूटरचित पट्टे को चुनौति देने का पूर्ण अधिकार है।

प्रस्तुत पंचायत निगरानियां राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत प्रस्तुत की गई है तथा 'हितबद्ध व्यक्ति' सम्बन्धि बिन्दु के निर्धारण से पूर्व उक्त धारा 97 के प्रावधानों का उल्लेख करना समीचीन है–

"(1)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश के निष्पादन पर, उसके सम्बन्ध में उप–धारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तक, रोक लगा सकेगी।

(3)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो, उपधारा (1) के परन्तुक और उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट इस उप–धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे।"

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है धारा 97 कि किसी पंचायतीराज संस्था द्वारा पारित किसी विनिश्चय अथवा आदेश या कार्यवाही की वैधानिकता, नियमितता या औचित्य के पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन हेतु राज्य सरकार की शक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है। उसी अधिनियम की धारा 98 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार की उक्त पुनरीक्षण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

और पुनर्विलोकन सम्बन्धि शक्ति जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टरों को जरिए अधिसूचना प्रत्यायोजित की गई है। पूर्वोक्त धारा 97 में पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के रुप मे किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन के साथ साथ यह भी उपबन्धित है कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से भी ऐसा करने हेतु सक्षम है। यह स्वीकार्य स्थिति है कि प्रार्थी श्री रमेश कुमार जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों की कार्यवाहियों में बतौर वार्डपंच सम्मिलित रहा है तथा मिसल एवं विक्रय विलेखों पर उसके हस्ताक्षर अंकित है। यह भी सत्य है कि प्रार्थी / याचिकाकर्ता का जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों से प्रत्यक्षतः कोई हित प्रभावित नहीं होता है। किन्तु विवेचनाधीन समस्त पंचायत निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या एक अर्थात् ग्राम पंचायत कोटडी जरिए ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आलोच्य संकल्प एवं भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध लिखित मे प्रक्रियात्मक एवं फर्जीवाड़े जैसे गम्भीर आक्षेप प्रस्तुत करते हुए इन्हें निरस्त करने का निवेदन किया है। चूंकि हस्तगत निगरानी याचिकाओं में केवल वैधानिक त्रुटियों को इंगित किया गया है अपितु आलोच्य संकल्प एवं भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध कूटरचना, राजकोष को हानि तथा अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन जैसे गम्भीर प्रश्न निहित है, अतः राज्य सरकार द्वारा प्रत्योयोजित पुनरीक्षण शक्तियों का स्वप्रेरणा से उपयोग करते हुए आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 एवं इसके अनुक्रम में निष्पादित उपरोक्त सोलह भूमि विक्रय विलेखों की विधिकता एवं नियमितता के सम्बन्ध में पुनरीक्षण एवं गुणावगुण विवेचन का निश्चय किया जाता है।

2 विचाराधीन निगरानी याचिकाओं के विरुद्ध पट्टाधारियों अर्थात अप्रार्थीगण संख्या दो के द्वारा यह भी आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार रिविजन याचिका तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जबकि प्रस्तुत निगरानियाँ पांच वर्ष की अवधि अन्तराल में प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाधित होने से काबिल खारिज है।

इसके खण्डन निमित्त काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह कथन किया कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेखों से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही फर्जी एवं कूटरचित है तथा ऐसे अवैध पट्टों को निरस्त करवाने हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं है।

म्याद के बिन्दु पर वैधानिक स्थिति यह है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन की शक्तियों के प्रयोग हेतु कोई अवधि सीमा उपबन्धित नहीं की गई है। यही स्थिति पूर्ववर्ती कानून राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की समवर्ती धारा 27-ए के सम्बन्ध में भी थी। चूंकि हस्तगत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से आलोच्य विक्रय को फर्जी, कूटरचित तथा राजकोष को हानि कारित करने जैसे महत्वपूर्ण आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की गई है जिस हेतु पांच वर्ष की अवधि कोई' असमान्य विलम्ब' की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है। काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत निम्नलिखित दोनो न्यायिक दृष्टान्त भी इसी सिद्धान्त को प्रतिस्थापित करते है:-

1. RLW 2000(2) Raj Chimanlal Vs. State of Raj. 911
2. 2018(2) DNJ Usha Jugtawat Vs State of Raj. 497

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
... जिला-पाली

P.I.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

अतः इस्तगत निगरानी याचिकाएँ अवधिबाधित होने सम्बन्धि अप्रार्थीपक्ष का तर्क विधिक दृष्टि से समरणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

3. विचाराधीन निगरानी याचिकाओं के विरुद्ध अप्रार्थीगण अर्थात् पट्टाधारियों द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति इस आशय की भी प्रस्तुत की गई है कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख उपपंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाए जा चुके है तथा पंजीबद्ध पट्टो को निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं अपितु सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि इस्तगत पंचायत निगरानियों में ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 एवं निर्णय को चुनौति दी जाकर उक्त संकल्प तथा उसकी पालना में निष्पादित भूमि विक्रय दस्तावेजों को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय द्वारा किसी पंजीबद्ध पट्टो को निरस्त करने सम्बन्धि क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बडनवान Bhagirath ram Vs. State of Rajasthan (566 RRT 2020(1)) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि

" The provision of the Act and Rules providing for appeal against various orders including the order of issuing patta, merely because the same stood registered, can not take away jurisdiction of the appellate fourum/revisional forum."

अर्थात् माननीय न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त प्रकरण में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिस्थापित किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय को पंजीबद्ध पट्टा विलेखों के विरुद्ध भी निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

4. अप्रार्थी पट्टाधारियों द्वारा यह प्राथमिक आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है कि पूर्व में उन्हीं आलोच्य विक्रय विलेखों के विरुद्ध एक अन्य शख्स श्री मदनसिंह द्वारा इसी न्यायालय में निगरानियाँ प्रस्तुत की गई थी, जो उनके द्वारा जरिए विड्रोअल (widrawal) खारिज की गई और इस आधार पर विचाराधीन समस्त निगरानी याचिकाएँ रेसज्युडिकेटा (Res Judicata) से प्रभावित होने के कारण खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में काबिल अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरणों में पूर्व पेशी दिनांक 12.09.2025 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर श्री मदनसिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिकाएँ तलब की जाकर अवलोकन किया गया था। जैर निगरानी आलोच्य विक्रय विलेखों के विरुद्ध श्री मदनसिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिकाएँ स्वयं प्रार्थी द्वारा विड्रो करवाये जाने के निवेदन पर कोई विस्तृत या वैधानिक निर्णय पारित किये बिना ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्तारित की गई थी, अर्थात प्रकरणों को गुणावगुण आधार पर अन्तिम रुप से निर्णीत नहीं किया गया। न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में विहित 'रेसज्युडिकेटा' सिद्धान्त अन्तिम रुप से निर्णीत (finally decided) प्रकरणों पर प्रभावी है एवं पूर्व प्रार्थी श्री मदनसिंह द्वारा इन्ही विक्रय विलेखो के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिकाएँ गुणावगुण आधार पर 'अन्तिम रुप से निर्णीत' नहीं की जाकर स्वयं प्रार्थी द्वारा विड्रो कर दिए जाने से निरस्तारित की गई। अतः अप्रार्थीपक्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रस्तुत 'रेसज्युडिकेटा' सम्बन्धि आक्षेप वैधानिक दृष्टि से परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

5 हस्तगत पंचायत निगरानी याचिकाओं में यादी ने आलोच्य संकल्प दिनांक 05.09.2019 तथा इसके अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेखों को इस आधार पर चुनौति दी है कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा प्रश्नगत मिसलों में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 तथा अनुषंगी नियम 1996 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 141 से 161 की पालना नहीं की गई है। याचिका के पद संख्या 2 लगायत 8 तथा प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उक्त प्रक्रियात्मक आक्षेपों का पदवार विवरण दिया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा प्रेषित मूल मिसल पत्रावलियों, बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर तथा पट्टा विलेख बुक संख्या 88 एवं बुक संख्या 10 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है:-

(i) विचाराधीन समस्त निगरानी याचिकाओं की मूल मिसल पत्रावलियों के सरवरक पर दायर तिथि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य होना अंकित है। जबकि पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.05.2019 में उक्त सभी प्रकरणों में उसी दिन आवेदन प्रस्तुत होने तथा स्थल निरीक्षण हेतु निर्देश प्रदान करने का अंकन किया गया है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.05.2019 पर सरपंच सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर अंकित नहीं है किन्तु मिसल पत्रावलियों में प्रथम आदेशिका में सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा आवेदन एवं शुल्क रसीद प्रस्तुत होने तथा मिसल खोलने का अंकन है अर्थात बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.05.2019 तथा सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा इसकी तस्दीक के रूप में मिसल में किसी प्रथम आदेशिका के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों में पट्टे हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा मिसल खोलने की कार्यवाही दिनांक 20.05.2019 तथा इसके पश्चात की गई। किन्तु मूल मिसल पत्रावलियों पर दायर दिनांक वर्ष 2015-16 एवं उससे पूर्व की अंकित है, जो कि प्रथमदृष्टया फर्जी व कूटरचित कार्यवाही की ओर संकेत करता है कि आरोपित सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा अपना कार्यकाल प्रारम्भ होने से पूर्व प्रस्तुत आवेदनों तथा पूर्व की अवधि में दायर मिसल पत्रावलियों पर बैकडेट में हस्ताक्षर कर आवेदन प्रस्तुत होने तथा मिसल खोलने सम्बन्धि कूटरचित अंकन किया गया है।

(ii) बैठक कार्यवाही रजिस्टर से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत कोटडी की बैठक दिनांक 22.07.2019 के प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा जैर निगरानी आलोच्य विक्रय विलेखों के सम्बन्ध में तीन पंचो की समिति गठित कर स्थल निरीक्षण बाबत् निर्णय लिया गया। किन्तु उक्त प्रस्ताव संख्या 2 में यह अंकित नहीं है कि ग्राम पंचायत कोरम द्वारा किन तीन पंचो को इस हेतु मनोनित किया गया था। सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा मिसल आदेशिका द्वारा तीन पंच को इस हेतु नियुक्त करने की आज्ञा अवश्य दी है किन्तु मिसल पत्रावलियों में ऐसा कोई नियुक्ति आदेश संलग्न नहीं है। राजस्थान पचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 में स्थल निरीक्षण सम्बन्धि प्रावधान उपबन्धित है। उक्त नियम 146 के उपनियम (2) के उपबन्धानुसार :-

"सचिव ऐसी सभी लम्बित फाइलों को स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचो की कोई समिति प्रतिनियुक्त करने के लिए पंचायत की आगामी बैठक में रहेगा।"

अर्थात् नियम 146 (2) के अनुसार वैधानिक स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि लम्बित पत्रावलियों में स्थल निरीक्षण हेतु

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

किन तीन पंचों की समिति का गठन किया जाए। विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में सचिव द्वारा दिनांक 22.07.2019 को पंचायत बैठक में पंचों की समिति के गठन के लिए पत्रावलियाँ प्रस्तुत करने का अंकन तो है किन्तु उक्त प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत ने यह अभिनिर्धारित ही नहीं किया कि किन तीन वार्डपंचों की समिति का गठन किया जाए। उक्त निर्णय सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा द्वारा सिरालों में प्रदत्त आदेशिका में लिया गया, जबकि पूर्वोक्त नियम 146 (2) के उपबन्धान्तर्गत सरपंच पंचों को मनोनित करने हेतु विधिक तौर पर अधिकृत नहीं है।

(iii) बैठक कार्यवाही रजिस्टर से यह भी जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में प्रश्नगत मिसल पत्रावलियों में बैठक दिनांक 05.08.2019 को जरिए प्रस्ताव संख्या 02 एक माह की अवधि का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया। विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु नोटिस को जारी और प्रकाशित करने सम्बन्धि उपबन्ध राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में विहित है, जो निम्नानुसार है :-

1. "यदि पंचायत अन्तिम रुप से यह विनिश्चय करें कि विक्रय किया जाये तो वह उप–नियम (2) में अधिकथित रीति से प्रारुप 22 में एक नोटिस, प्रस्तावित विक्रय के संबंध में, इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर, आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। परन्तु राजस्व अभियान प्रशासन गांव के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिये राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय आक्षेपों की आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक मास के स्थान पर सात दिवस की होगी।
2. उप–नियम (1) में निर्दिष्ट दो प्रतियों में नोटिस तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी।"

किन्तु निर्णयाधीन निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित समस्त मिसल पत्रावलियों में जारी उपरोक्त आपत्ति नोटिसों में अधिकांश में न तो दिनांक अंकित है और न ही पूर्वोक्त नियम 148 उपनियम (2) के आज्ञापक (Mandatory) प्रावधान अनुसार किसी भी नोटिस पर चस्पानगी की तस्दीक के रुप में कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही अंकित है। कुछ मिसल पत्रावलियों में आपत्ति इश्तिहार पर दिनांक 05.08.2019 अवश्य अंकित है। (उदाहरणार्थ प्रकरण संख्या 392/2024 की मिसल संख्या 35/2012–13) किन्तु नियम 148 में उपबन्धित अन्य पूर्वापेक्षाओं की पालना नहीं की गई है। संक्षेप में, प्रार्थीपक्ष का यह तर्क दस्तावेजों से सिद्ध पाया जाता है कि निर्णयाधीन निगरानी याचिकाओं में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 में उपबन्धित प्रावधानों की पालना नहीं की गई।

(iv) हस्तगत निगरानी याचिकाओं में प्रार्थीपक्ष द्वारा यह भी आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि पूर्वोक्त नियम 1996 के नियम 147 के प्रावधानान्तर्गत ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निष्पादित करने के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय (Provisional decision) नहीं किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
देसूरी, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति यह है कि नियम 146 के उपबन्धानुसार तीन पंचो की समिति द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पंचायत किसी बैठक में यह विनिश्चय करती है कि प्रस्तावित विक्रय किया जाए अथवा नहीं तथा यदि पंचायत द्वारा विक्रय का अनन्तिम रुप से विनिश्चय किया जाता है तो प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में प्रारुप 22 में (नियम 148 में विहित विधि द्वारा) आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु नोटिस प्रकाशित किया जाता है।

विचाराधीन समस्त निगरानी याचिकाओं के सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मिसलों में आलोच्य भूमि विक्रय करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा किसी भी बैठक में कोई अनंतिम निर्णय (Provisional decision) नहीं लिया गया। अर्थात प्रार्थीपक्ष का नियम 147 की पालना नहीं होने बाबत आक्षेप भी दस्तावेजी आधार पर प्रमाणित पाया जाता है।

(v) निर्णयाधीन समस्त निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित मूल मिसल पत्रावलियों में से किसी भी मिसल में अप्रार्थी अर्थात् पट्टाधारी द्वारा भूखण्ड आवंटन या पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन संलग्न नहीं है अर्थात राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 की पूर्वापेक्षा में जेर आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदकगण / अप्रार्थीगण द्वारा न तो कोई आवेदन पेश किया और न ही इस निमित्त आवेदन शुल्क एवं नक्शा शुल्क जमा करवाने सम्बन्धि कोई रसीद ही उपलब्ध है। प्रकरण संख्या 397 / 2024 में अप्रार्थीया श्रीमती सुखी देवी पत्नी श्री भंवरलाल राव की मिसल पत्रावली संख्या 05 / 2012–13 में भी ऐसा कोई आवेदन संलग्न नही है किन्तु अप्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा बहस सुनवाई ऐसे एक आवेदन की प्रतिलिपि अवश्य पेश की गई किन्तु उक्त आवेदन में अंकित पड़ोस तथा अप्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 34 (बुक संख्या 10) में अंकित चतुर्दशी में अन्तर एवं विरोधाभाष है, जिस कारण उक्त तथाकथित आवेदन की प्रमाणिकता सिद्ध नही मानी जा सकती।

(vi) प्रकरण संख्या 387 / 2024 की मूल मिसल पत्रावली 99 / 2011–12 में आदेशिका दिनांक 22.07.2019 द्वारा सरपंच द्वारा श्री विरमदेव एवं श्री रमेश के साथ वार्डपंच श्रीमती मांगीबाई को स्थल निरीक्षण हेतु नियुक्त करने का अंकन है। किन्तु स्थल निरीक्षण प्रपत्र एवं आदेशिकाओं में उक्त मांगीबाई के कही हस्ताक्षर अंकित नहीं है बल्कि श्रीमती कमला द्वारा हस्ताक्षर किए गए है। जो कि उक्त प्रकरण में स्थल निरीक्षण हेतु अधिकृत ही नही थी। यही समान स्थिति पंचायत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 391 / 2024 की मूल मिसल संख्या 231 / 2013–14 में भी पाया जाना प्रमाणित है।

(vii) कुछ मिसल पत्रावलियों में राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 146 की प्रत्याशा में ग्राम सचिव द्वारा तैयार किए जाने वाले स्थल नक्शे पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर ही अंकित नही है बल्कि सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर से उक्त नक्शा तैयार किया जाना प्रमाणित होता है। उक्त नियम 146 में प्रस्तावित भूखण्ड का नक्शा तैयार करने का एकमात्र दायित्व ग्राम सचिव का है, न कि सरपंच का।

(viii) विचाराधीन प्रकरण संख्या 394 / 2024 में मिसल संख्या 159 / 2013–14 तथा प्रकरण संख्या 405 / 2024 में मिसल संख्या 101 / 2011–12 में अप्रार्थीगण क्रमशः श्रीमती सोनी पत्नी श्री लादाराम राव तथा श्री मुकेश पुत्र श्री लादाराम राव को पट्टा विलेख संख्या 30 एवं 26, बुक संख्या 88 से निष्पादित किए गए जबकि उक्त दोनो पट्टाधारी उनके नाम व विवरण अनुसार माता एवं पुत्र है। अर्थात एक ही परिवार के दो सदस्यों

Scanned with OKEN Scanner

को समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित होना बताकर पृथक पृथक भूमि विक्रय करते हुए ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा न केवल औने-पौने दामों पर आबादी भूमि की बन्दरबांट कर वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है अपितु पंचायत राजकोष को भी हानि कारित किया जाना प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

(ix) इसी प्रकार एक ही परिवार से सम्बन्धित दो व्यक्तियों को तथाकथित समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित होना बताकर आबादी भूमि के विक्रय का एक और प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या 402/2024 तथा 406/2024 में भी पाया गया है, जहाँ अप्रार्थीगण श्री मांगीलाल पुत्र श्री कुन्नीलाल तथा उनकी पत्नी श्रीमती कमला पत्नी श्री मांगीलाल को एक ही प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 द्वारा निर्णय लेते हेतु पट्टा विलेख संख्या क्रमशः 27 एवं 28 के द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया गया।

(x) ऐसे ही समान प्रकरण पंचायत निगरानी याचिका संख्या 382/2024 तथा 387/2024 में भी पाया जाना प्रमाणित है, जहाँ पिता एवं पुत्र को क्रमशः पट्टा विलेख 22 एवं 21 के द्वारा पृथक पृथक आबादी भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित किए गए।

(xi) प्रकरण संख्या 400/2024 की मिसल संख्या 11/2015-16 द्वारा अप्रार्थीया श्रीमती मांगी पत्नी श्री भरदाराम को भूखण्ड का निःशुल्क विक्रय करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विलेख संख्या 45 (बुक संख्या 88) निष्पादित किया गया। यद्यपि मूल मिसल में संलग्न आबादी भूमि स्थल निरीक्षण प्रपत्र में अप्रार्थीगण को उक्त भूमि निःशुल्क देने की अभिशंषा अवश्य अंकित है किन्तु यह अंकन करना महत्त्वपूर्ण है कि नियम 148 के उपबन्धानुसार तैयार उक्त स्थल निरीक्षण प्रपत्र में तीन पंचो के स्थान पर मात्र दो पंचो के ही हस्ताक्षर अंकित है तथा मूल मिसल संख्या 11/2015-16 में संलग्न गवाहो के बयानों में किसी भी व्यक्ति ने अप्रार्थीया के भूमिहिन या कमजोर तबके से सम्बन्धित होने तथा इस आधार पर उन्हें निःशुल्क भूमि आवंटन का कथन नहीं किया है। मूल मिसल पत्रावली में ऐसी कोई जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है जिस आधार पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थीया को निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु पात्र पाया हो। ऐसे किसी जांच अथवा वैध दस्तावेज के अभाव में ग्राम पंचायत का निःशुल्क भूमि आवंटन सम्बन्धित निर्णय अतार्किक एवं आधारहीन होना सिद्ध पाया जाता है।

(xii) विचाराधीन पंचायत निगरानी संख्या 401/2024 में अप्रार्थीया श्रीमती कन्या पत्नी श्री पकाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 23 (बुक संख्या 88) निष्पादित किया गया है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में भूमि विक्रय/आवंटन करने से पूर्व कोई मिसल ही कायम नही की गई अर्थात् उक्त प्रकरण में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 158 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही अप्रार्थिया के पक्ष में सीधे पट्टा विलेख संख्या 23 निष्पादित कर दिया गया। उक्त पट्टा विलेख संख्या 23 बजातरफ श्रीमती कन्या पर भी कोई मिसल संख्या अंकित नहीं है।

(xiii) निर्णयाधीन पंचायत निगरानी संख्या 397/2024 की मूल मिसल संख्या 5/2012-13 बजातरफ श्रीमती सुखी पत्नी श्री भंवरलाल कि मिसल में ओवरराईट कम्प्यूटर प्रिंटेड है, जिसकी फोटोप्रति में केवल नाम, दिनां इत्यादि पेन से भरे हुए है उपरोक्त मिसल में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा दिया गया कोई आवेदन नहीं है और बिना आवेदन के ही मिसल दिनांक 20.05.2019 को दर्ज होना मिसल मे अंकित है लेकिन इस दर्ज की दिनाक और वर्ष से करीब 7-8 वर्ष पहले ही मिसल नम्बर 5/2012-13 अंकित

प्रतिलिपि जिला कलेक्टर जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

है। उक्त मिसल वर्ष 2012–13 मे दर्ज होने बाबत् कोई दस्तावेज और रिकॉर्ड मिसल मे नही है। जब मिसल 20.05.2019 को ही दर्ज की गई है तो उससे 7–8 वर्ष पहले पत्रावली अर्थात् मिसल कैसे दर्ज हो सकती है? उक्त आदेशिका में प्रार्थना पत्र के साथ नियमानुसार शुल्क राशि कितनी और कब किस रसीद नम्बर से जमा की गई है, यह दर्ज नही है तथा रसीद नम्बर खाली छोडे हुए है। द्वितीय आदेशिका दिनांक 22.07.2019 में तीन वार्ड पंच रमेश कुमार, कमला और पेमाराम नियुक्त करने का दर्ज है, यही तीनो वार्ड पंच अधिकांश मिसलों में वार्ड पंच नियुक्त किये गये है। इनके द्वारा निरीक्षण कब किया गया, यह निरीक्षण प्रपत्र से प्रकट नहीं है तथा निरीक्षण प्रपत्र पर केवल हस्ताक्षर है। तीसरी आदेशिका दिनांक 05.08.2019 को तीनो मिसल में दर्ज है, उक्त आदेश की पालना मे जो नोटिस मिसल मे संलग्न है, वह नोटिस कब और किसने चस्पा किया कहीं विवरण दर्ज नही है। उक्त मिसल मे दो गवाहान के बयान अवश्य संलग्न है लेकिन ये बयान किस दिनांक को किसने लिए ऐसा कोई विवरण उक्त बयानो में नही है। यह भी कि अप्राथी संख्या दो गरीब होने तथा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की अर्हता रखने बाबत् इस बाबत मिसल में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात् जांच एवं बयान इत्यादि नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके गरीब होने तथा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने का पात्र होने बाबत ग्राम पंचायत की फाईन्डिंग काल्पनिक है।

(xiv) यह भी आश्चर्यजनक है कि उक्त अप्रार्थिया श्रीमती सुखी देवी पत्नी श्री भंवरलाल राव को एक अन्य मिसल पत्रावली संख्या 146 / 2012–13 में भी एक अन्य भूखण्ड (जो कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड में सम्मिलित है) रियायती दर पर आवंटित करते हुए समान बुक संख्या 10 से पट्टा विलेख संख्या 46 निष्पादित किया गया। अर्थात् एक ही महिला को रियायती दर पर दो–दो भूखण्डों का ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन करते हुए न केवल विधिक प्रावधानों की अवहेलना की गई है अपितु पंचायत कोष को आर्थिक हानि कारित करने का कृत्य भी किया जाना प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। यद्यपि उक्त मिसल पत्रावली संख्या 146–2012–13 द्वारा अप्रार्थिया को निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 46 को न्यायालय हाजा में चुनौति नहीं दी गई है।

(xv) विचाराधीन सोलह निगरानी याचिकाओं मे से प्रकरण संख्या 396 / 2024 में याचिका पत्र मे आलोच्य मिसल संख्या 143 अंकित है, जबकि पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों (लिखित बहस) तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड से यह जाहिर होता है कि मूल मिसल की संख्या 88 / 2012–13 है, जिसमे अप्राथी श्री चैनाराम के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 29 निष्पादित किया गया है। इसी प्रकार, कुछ निगरानी याचिकाओं में पट्टा विलेख संख्या भी त्रुटिपूर्ण दर्ज है किन्तु जैसा कि याची ने निगरानी याचिका में यह सशपथ कथन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रकरणो से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड प्रार्थी को उपलब्ध नही कराया गया था, अतः उक्त टंकणीय त्रुटियॉं अप्रासंगिक पायी जाती है।

इस प्रकार, उपरोक्त पद संख्या 5 में अंकित विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा आलोच्य सोलह विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व मिसल पत्रावलियों में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में विहित आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों (Mandatory Procedural procisions) की पालना नहीं की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

6. प्रार्थी द्वारा विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण के साथ सांठ-गांठ कर अपात्र व्यक्तियों को फर्जी तरीके से भूमियों का आवंटन किया गया है। यह भी कि पट्टाधारियों के उसी पंचायत क्षेत्र में पूर्व से रहवासी मकान स्थित है तथा भूमिहीन न होते हुए भी नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों हेतु अपेक्षित रियायती दर पर भू-आवंटन कर पंचायत के राजकोष को आर्थिक हानि कारित की गई है।

अप्रार्थी संख्या एक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटड़ी ने अपने जवाबपत्र में उपरोक्त आक्षेप की पुष्टि करते हुए जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निरस्त करने का निवेदन किया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि निर्णयाधीन समस्त निगरानी याचिकाओं में प्रश्नगत भूमि विक्रय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत निष्पादित पट्टा विलेख है। उक्त नियम 158 में उपबन्धित है कि:-

"पंचायत, गांव आबादियो में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यो को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहिन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावार जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी और ऐसे भूमि का पट्टा प्रारुप 23 ग में जारी किया जा सकेगा।

1.क पंचायत, सरहदी पंचायत समिति क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण आबादी में 300 वर्गगज तक आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी।

2. ऐसे आवंटियों से निम्न प्रकार दर से वसूल की जावेगी।

क. 1000 से कम की आबादी वाले गांवो में (1991 की जनगणना) 2/-प्रतिवर्गमीटर

ख.1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 5/-प्रतिवर्गमीटर

ग. 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 10/-प्रतिवर्गमीटर

परन्तु राज्य सरकार ऐसी भूमियों को, व्यक्तियों की कुछ श्रेणीयों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारुप 23 ग में जारी किया जा सकेगा।

2क. पंचायत, घुमक्कड़ भेड़ पालकों को 300 वर्गगज तक आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।"

उक्त नियम 158 में समाज के कमजोर वर्गों, जिनकी श्रेणीयाँ स्पष्टतः अंकित की गई है, को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर भूमि आवंटन का प्रावधान उपबन्धित है एवं ऐसे भू-आवंटन हेतु कमजोर वर्ग के ऐसे व्यक्तियों के पास स्वयं का गृह स्थल (Home site) या गृह (Home) नहीं होना पूर्वशर्त के रुप में अभिलिखित है। अर्थात् जिनके पास स्वयं का गृह अथवा गृह निर्माण हेतु स्थल नहीं है, कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्ति ही पूर्वोक्त नियम 158 के अन्तर्गत भू-आवंटन हेतु पात्र है। जैसा कि इस पद के प्रारम्भ में यह अंकित किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा पट्टाधारियों के पास पूर्व से रहवासी मकान एव भूखण्ड होने का याचिका व लिखित बहस में सशपथ कथन किया गया है। यद्यपि अप्रार्थीगण पट्टाधारियों द्वारा निगरानी याचिकाओं में एक समान साइक्लोस्टाईल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

P.T.O.

जवाबपत्र प्रस्तुत कर जवाबपत्र के पद संख्या 7 में यह अंकन मात्र किया है कि अप्रार्थी भूमिहिन व्यक्ति है। यद्यपि दोनों ही पक्ष पूर्व में रहवासी मकान एवं भूखण्ड होने बाबत अपने परस्पर विरोधाभाषी दावो की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है।

ऐसी स्थिति में, आलोच्य विक्रय विलेखों से सम्बन्धित मूल मिसल पत्रावलियों के विश्लेषण कर यह निर्धारण किया जाना प्रासंगिक है कि **"क्या ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा रियायती दर पर आलोच्य विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व अप्रार्थीगण पट्टाधारियों की पात्रता की समुचित जांच की गई अथवा नहीं?**

सोलह निगरानी आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 जिसके द्वारा निर्णयाधीन सोलह विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया, में अंकित है कि

"जो प्रार्थी भूमिहिन, एस.एसी. एस.टी. घुमक्कड़,भेड़पालक, शिक्षित बेरोजगार मजदूर उनको पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 अन्तर्गत रियायती दर 5/-रुपये प्रति वर्गमीटर से वसूल कर पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया....।"

उपरोक्त प्रस्ताव में यह कहीं अंकित नहीं है कि अप्रार्थीगण पट्टेधारियों की पात्रता के सम्बन्ध में कब एवं किस स्तर से जांच की गई अथवा क्या ऐसी जांच की गई कि पात्र माने गए व्यक्तियों के पास पूर्व से रहवासी गृह अथवा गृह-स्थल है अथवा नहीं अर्थात् उक्त प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 में इनकी पात्रता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच करने का कहीं कोई अंकन नहीं है। यहां तक कि उक्त आलोच्य प्रस्ताव दिनांक 05.09.2019 द्वारा जिन 133 प्रकरणों (उक्त 133 प्रकरणों में निर्णयाधीन सोलह प्रकरण भी सम्मिलित है) में नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया, उन 133 व्यक्तियों की नामवार अंकित सूची में भी प्रत्येक के आगे कमजोर वर्गों की श्रेणीयो का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात् यह अंकन नहीं है कि कौनसा व्यक्ति भूमिहिन श्रमिक है एवं कौनसा व्यक्ति अनूसूचित जाति या जनजाति अथवा भेड़पालक एवं मजदूर वर्ग से सम्बन्धित है। अर्थात् आलोच्य प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.09.2019 में फौरी एवं अस्पष्ट तौर पर अंकन किया जाकर रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त विचाराधीन निगरानी याचिकाओं की मूल मिसल पत्रावलियों में संलग्न अन्तिम आदेशिका में यह अंकन किया गया है कि सभी पंचो ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रार्थी गरीब परिवार का सदस्य है। अन्तिम आदेशिका में अंकित उक्त कथन पंचायत बैठक प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.09.2019 से मेल नहीं खाता है। साथ ही नियम 158 में गरीब परिवार से सम्बन्धित होने के आधार पर रियायती दर पर भूमि विक्रय का कोई प्रावधान नहीं है। नियम 158 के उपनियम (1क) के परन्तुक में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क भूमि आवंटन का उपबन्ध अवश्य है किन्तु हस्तगत प्रकरणों में भूमि का रियायती दर पर आवंटन किया गया है, न कि अन्तिम आदेशिका में अंकन अनुसार गरीब परिवार को निःशुल्क आवंटन। **अतः यह स्पष्ट है कि मूल मिसल पत्रावलियों में प्रदत्त अन्तिम आज्ञा/ आदेशिका में अंकित तथ्य न केवल अन्तिम प्रस्ताव दिनांक 05.09.2019 में अंकित तथ्यों से भिन्न है, अपितु ऐसा अंकन काल्पनिक एवं निराधार होना भी साबित पाया जाता है।**

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि विचाराधीन निगरानी याचिकाओं की मूल मिसल पत्रावलियों में भी पात्रता की जांच करने सम्बन्धि कहीं कोई प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है मिसलों

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

में सलंग्न बयानों पर भी अप्रार्थी अथवा गवाह के हस्ताक्षर तक अंकित नहीं है। अर्थात बिना किसी सम्यक जांच एवं गवाहों पडौसी व्यक्तियों के बयानों आदि को लेखबद्ध किये बिना ही पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को नियम 158 की परिधि में रियायती दर पर भूमि आवंटन का निश्चय किया गया, जबकि सम्पूर्ण पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि पात्रता के सम्बन्ध में ऐसी कोई जांच किसी भी स्तर पर सम्पादित नहीं की गई। यद्यपि प्रकरण संख्या 389/2024 (मिसल संख्या 203/2013–14), प्रकरण संख्या 395/2024 (मिसल संख्या 85/2013–14) प्रकरण संख्या 396/2024 (मिसल संख्या 88/2012–13) प्रकरण संख्या 402/2024 (मिसल संख्या 247/2013–14) तथा प्रकरण संख्या 406/2024 मिसल संख्या 90/2013–14 में भी गवाहों के बयान मय विवरण सलंग्न है। किन्तु उक्त गवाहों ने ऐसा कोई कथन अथवा पुष्टि नहीं की है कि प्रार्थी कमजोर वर्गों से सम्बन्धित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटन हेतु पात्रता रखते है।

7. ग्राम पंचायत कोटडी से तलब पट्टा बुक संख्या 88 के अवलोकन से एक गम्भीर तथ्य यह भी संज्ञान में आता है कि उक्त पट्टा बुक में पट्टा विलेख संख्या 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,24,35,36,37 एवं ऐसे ही अन्य कुछ और विलेख अनिष्पादित है अर्थात् इन पर पट्टाधारियों के नाम, संकल्प, दिनांक आदि विवरण रिक्त है और उक्त पट्टा विलेखों को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है। किन्तु आश्चर्यजनक रुप से उक्त अनिष्पादित एवं खाली पट्टा विलेखों पर भूखण्ड विशेष की चतुर्दशी अंकित करते हुए सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा एवं श्री रमेश कुमार सहित तीन पंचों के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त समस्त पट्टा विलेख नियम 158 में विहित प्रारुप के पट्टा विलेख है तथा निर्णयाधीन सोलह निगरानी याचिकाओं में आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों में से बारह विक्रय विलेख इसी पट्टा बुक संख्या 88 से जारी किए गए है। अनिष्पादित एवं खाली पट्टा विलेखों पर चतुर्दशी विशेष का अंकन करते हुए एवं पंचायत द्वारा निर्णय लिए बिना ही सरपंच एवं पंचों द्वारा पूर्व में ही हस्ताक्षर कर पुष्टि करना नियम 158 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही को सन्देहास्पद बनाने हेतु पर्याप्त आधार है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णयाधीन सोलह निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 द्वारा भूमिहिन कमजोर वर्गों हेतु रियायती दर पर भूमि विक्रय का निर्णय करने से पूर्व ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पात्रता सम्बन्धि किसी प्रकार की समुचित जांच नहीं की गई तथा अपात्र व्यक्तियों को एवं एक ही परिवार के सदस्यों यथा, पति–पत्नि, पिता–पुत्र एवं माता–पुत्र तक को पृथक पृथक भूखण्ड राशि, 557/– एवं 558/– रुपये अथवा उससे भी कम दामों पर आवंटित कर पंचायत राजकोष को आर्थिक हानि कारित की गई। तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा एवं वार्ड पंच श्री रमेश कुमार श्रीमती कमला एवं श्री पेमाराम तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 तथा अनुषंगी नियम 1996 में उपबन्धित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए न केवल पंचायत की स्वामित्वाधीन सार्वजनिक आबादी भूमि का बिना पात्रता की जांच किए औने–पौने दामों पर हस्तान्तरण किया गया, अपितु अपने कार्यकाल से पहले की अवधि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रथमदृष्टया बैकडेट में हस्ताक्षर कर एवं सभी मिसल पत्रावलियों में आदिनांक आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर कर अवैध कार्यवाही भी कारित की गई है। अतः उपरोक्त लोकसेवकों के विरुद्ध विकास अधिकारी प.स. देसूरी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटडी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत निर्णयाधीन समस्त सोलह निगरानी याचिकाओं में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने से समस्त याचिकाएं स्वीकार की जाती है तथा निगरानी प्रकरण संख्या 382/2024 (मिसल संख्या 88/2011–12) में अप्रार्थी श्री वालाराम पुत्र श्री पुराराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 22 (बुक संख्या 10), प्रकरण संख्या 383/2024 (मिसल संख्या 57/2011–12) में श्री मगाराम सीरवी के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 25 (बुक संख्या 88), प्रकरण संख्या 387/2024 (मिसल संख्या 99/2011–12) में श्री प्रकाश पुत्र श्री वालाराम मेघवाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 21 (बुक संख्या 10), प्रकरण संख्या 389/2024 (मिसल संख्या 203/2013–14) में श्रीमती कन्या पत्नी श्री पुनाराम धांधी के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 33 (बुक संख्या 88), प्रकरण संख्या 390/2024 (मिसल संख्या 107/2012–13) में श्री मोटाराम सीरवी के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 34 (बुक संख्या 88), प्रकरण संख्या 391/2024 (मिसल संख्या 231/2013–14) में श्री दिलीप पुत्र बजाराम मेघवाल के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 20 (बुक संख्या 10), प्रकरण संख्या 392/2024 (मिसल संख्या 36/2012–13) में श्रीमती गजरों पत्नी श्री राजूराम के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 31 (बुक संख्या 88) प्रकरण संख्या 394/2024 (मिसल संख्या 159/2013–14) में श्रीमती सोनी पत्नी श्री लादाराम राव के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख संख्या 30 (बुक संख्या 88), प्रकरण संख्या 395/2024 (मिसल संख्या 85/2013–14) में श्रीमती मंगली पत्नी श्री पुनाराम को निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 32 (बुक संख्या 88) एवं प्रकरण संख्या 396/2024 (मिसल संख्या 88/2012–13) में श्री चेनाराम पुत्र पकाराम सीरवी के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 29 (बुक संख्या 88) को अपास्त किया जाता है। इसी प्रकार, पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या 397/2024 (मिसल संख्या 05/2012–13) में श्रीमती सुखी देवी पत्नी श्री भंवरलाल राव के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 34 (बुक संख्या 10), प्रकरण संख्या 400/2024 (मिसल संख्या 11/2015–16) में अप्रार्थिया श्रीमती धोनी पत्नी श्री बरदाराम सीरवी को निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 45 (बुक संख्या 88), प्रकरण संख्या 401/2024 में श्रीमती कन्या पत्नी श्री पकाराम सीरवी के पक्ष में बुक संख्या 88 में से निष्पादित पट्टा विलेख 23, प्रकरण संख्या 402/2024 (मिसल संख्या 247/2013–14) में अप्रार्थी श्री मांगीलाल पुत्र धुन्नीलाल सीरवी को निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 27 (बुक संख्या 88), निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 405/2024 (मिसल संख्या 101/2011–12) में श्री मुकेश पुत्र लादाराम राव के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख संख्या 26 (बुक संख्या 88) एवं पंचायत निगरानी याचिका प्रकरण संख्या 406/2024 (मिसल संख्या 90/2013–14) में श्रीमती कमला पत्नी श्री मांगीलाल सीरवी के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 28 (बुक संख्या 88) को भी अपास्त किया जाता है।

साथ ही, उपरोक्त समस्त सोलह विलेख जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 भी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 तथा नियम 1996 में उपबन्धित आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की अवहेलना/उल्लंघन तथा मनमाने आवंटन निर्णय के आधार पर अवैधानिक पाया जाने से अपास्त किया जाता है।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत कोटडी जरिए ग्राम विकास अधिकारी को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किए गए भूमि विक्रय विलेखों से सम्बन्धित भूखण्डों का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय नौ में विहित खुली निलामी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें ताकि पंचायत राजकोष में अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक आबादी भूमि का निष्पक्ष हस्तान्तरण हो सके।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 382/2024,383/2024, 387/2024, 389/2024, 390/2024, 391/2024, 392/2024, 394/2024, 395/2024, 396/2024, 397/2024, 400/2024, 401/2024, 402/2024, 405/2024 व 406/2024

उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उक्त खुली निलामी प्रक्रिया विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण व देखरेख में सम्पादित करने के भी निर्देश दिए जाते है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटड़ी को यह भी निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किए गए भूमि विक्रय विलेखो की मूल प्रति पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क एवं बड़े–बड़े अक्षरों में निरस्त शब्द का अंकन करना सुनिश्चित करे।

निर्णय सोलह प्रतियों में जारी होकर प्रत्येक निगरानी याचिका में सलंग्न किया जाए तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल पत्रावलियो की प्रमाणित प्रति भी शामिल पत्रावली की जाए। निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner